

प्रेस- नोट

थाना- कोतवाली

गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चार पहिया वाहन सीज

आज दिनांक 21.02.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, मय हमराह द्वारा रहमतनगर से अभियुक्त 1. रत्नाकर उपाध्याय उर्फ मुकुल उपाध्याय पुत्र बबलू उपाध्याय निवासी देई डिहा थाना बरहज देवरिया उम्र 27 वर्ष व 2. शम्भू शंकर पाण्डेय पुत्र गिरजाशंकर पाण्डेय साकिन सिसवां पाण्डेय थाना सुरौली पकौली जनपद देवरिया उम्र 29 वर्ष को चार पहिया वाहन (सफारी) व 3.750 किलोग्राम गांजा के साथ समय करीब 08.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 110/2024 धारा 8/20/27क/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर वाहन को सीज किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. रत्नाकर उपाध्याय उर्फ मुकुल उपाध्याय पुत्र बबलू उपाध्याय निवासी देई डिहा थाना बरहज देवरिया उम्र 27 वर्ष।
  2. शम्भू शंकर पाण्डेय पुत्र गिरजाशंकर पाण्डेय साकिन सिसवां पाण्डेय थाना सुरौली पकौली जनपद देवरिया उम्र 29 वर्ष।
- बरामदगी-** 3.750 किलोग्राम गांजा, 01 सफारी वाहन एमबी एक्ट में सीज।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 110/2024 धारा 8/20/27क/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास -** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, हे0कां0 हरेन्द्र यादव, हे0कां0 पंकज सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़।

**थाना मुबारकपुर**

**दुष्कर्म करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा मे**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 20.02.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय शिकायत किया गया कि वादिनी मुकदमा के साथ 01 बाल अपचारी ने दुष्कर्म किया एवं फोटो विडियो वायरल करने की धमकी दी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/2024 धारा 376/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

**पुलिस अभिरक्षा मे लेने का विवरण-** आज दिनांक 21.02.2024 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार के मय हमराह (सादे वस्त्रों मे) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को उसके घर से समय करीब 14.20 बजे पुलिस अभिरक्षा मे लेकर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

**अभिरक्षा मे लेने वाली टीम -** प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार, का0 अनिरुद् कुमार, का.नीरज कुमार यादव, हे0कां0 मनोज कन्नौजिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

### थाना- कप्तानगंज

#### दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 11.02.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की बहन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 31/24 धारा 363/366 IPC पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 21.02.2024 को उ0 नि0 अंगद सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र पालाराम निवासी सुचान कोटली थाना डिंग जिला – सिरसा हरियाणा को जेहरा पिपरी मोड़ से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** विनोद कुमार पुत्र पालाराम निवासी सुचान कोटली थाना डिंग जिला – सिरसा हरियाणा।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 31/24 धारा 363/366 भादवि0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-** उ0 नि0 अंगद सिंह यादव, हे0 मो0 त्रिभुवन सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

### थाना- कप्तानगंज

#### दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

**पूर्व की घटना-** दिनांक 16.02.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त 1. गोविन्दा राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर समस्त निवासी ग्राम रायपुरकाजी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ व 01 बाल अपचारी ने वादिनी के साथ दुष्कर्म किया तथा परिवार वालों को बताने पर जाने से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/2024 धारा 376D/504/506/ IPC व 4(2) पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 21.02.2024 को उ0नि0 ब्रजकान्त मिश्रा व0 उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. गोविन्द राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर निवासी रायपुर काजी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 19 वर्ष व 01 बाल अपचारी को काशी करवट मोड़ से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार/अभिरक्षा में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गोविन्द राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर निवासी रायपुर काजी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
2. 01 बाल अपचारी

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 37/2024 धारा 376D/504/506/ IPC व 4(2) पास्को एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-** उ0 नि0 अजीत कुमार चौधरी, का0 विनय शंकर मिश्रा, का0 अखिलेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

### प्रेस नोट

#### थाना सरायमीर

दिनांक 21.02.2024 को मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 224/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त देवेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र शिवनाथ विश्वकर्मा निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर को 1000/- रुपये अर्थदण्ड व जेल में बितायी गयी अवधी से दण्डित किया गया है।